

3

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत)  
उपायुक्त, ऊना जिला ऊना, हि0प्र0।

संख्या पंच-ऊना (निर्वाचन) 7/2010-

दिनांक:- 24 नवम्बर, 2010.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 125 पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 88 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निदेशक एवं विशेष सचिव, (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश, सरकार शिमला-9 के पत्र संख्या पी.सी. एच.-एच.ए.(1)10/2010-37068-79 दिनांक 23 नवम्बर, 2010 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए मैं, के0 आर0 भारती (भा0प्र0से0), उपायुक्त ऊना, जिला ऊना की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण को संलग्न सारिणी अनुसार सर्व-साधारण की सूचना हेतु अधिसूचित करता हूँ।

*aml*  
(के0आर0भारती)भा0प्र0से0  
उपायुक्त ऊना जिला ऊना(हि0प्र0)

पृष्ठांकन संख्या :- उपरोक्त- 2400 - 2653  
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 24 नवम्बर, 2010

- 1 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हि0प्र0 शिमला-2.
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 शिमला-9.
- 3 अतिरिक्त उपायुक्त ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
- 4 उपमण्डलाधिकारी (ना0) ऊना, तथा अम्ब जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
- 5 समस्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
- 6 नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतु।
- 7 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
- 8 जिला लोक सम्पर्क अधिकारी ऊना, जिला ऊना को उक्त आरक्षण सूची की प्रति जिला में प्रचलित समस्त समाचार पत्रों में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशनार्थ।
- 9 समस्त खण्ड विकास अधिकारी जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
- 10 पंचायत सचिव/सहायक, समस्त विकास खण्ड जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायत अभिलेख एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पान हेतु।
- 11 जिला परिषद् कार्यालय सूचनापट्ट पर चस्पान हेतु।
- 12 गार्ड पत्रावली ।

*aml*  
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),  
उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

(4)

जिला ऊना की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण का व्यौरा

Sr. No.	Names of Panchayat Samitis	Status of Reservation-2010
1	बंगाणा	अ०जा०म०
2	हरोली	अ०पि०व०म०
3	गगरेट	सा०म०
4	अम्ब	अनारक्षित
5	ऊना	अनारक्षित
Total:-		

*am*

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),  
(उपायुक्त), ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०

कार्यालय उपायुक्त ऊना,  
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

①

संख्या-पंच-ऊना-(निर्वाचन)2015-

दिनांक:

2015.

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, की धारा 125 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में नियम 88 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-9 के पत्र संख्या पी0सी0एच0-एचए(1)1/2005-28399-322 दिनांक 17.10.2015 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए मैं, राजेश कुमार (हि0प्र0से0) उपायुक्त ऊना, जिला ऊना, की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों का संलग्न सारणी अनुसार आरक्षण करता हूँ।

राजेश कुमार (हि0प्र0से0)  
उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।  
दिनांक:

05-11-2015.

पृष्ठांकन संख्या:-उपरोक्त-85248785

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हि0 प्र0, शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ।
2. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-9 की सेवा में सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त उपायुक्त ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में शीघ्र प्रकाशन हेतु।
5. समस्त उप-मण्डल अधिकारी (ना0) जिला ऊना को सूचनार्थ।
6. जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना को सूचनार्थ।
7. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, ऊना, जिला ऊना को उक्त आरक्षण सूची की प्रति जिला में प्रचलित समस्त समाचार पत्रों में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशनार्थ।
8. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना को सूचनार्थ।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला ऊना को सूचनार्थ।
10. समस्त पंचायत सचिव/सहायक, जिला ऊना, हि0 प्र0 को खण्ड विकास अधिकारी, के माध्यम से पंचायत अभिलेख एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर चरपान हेतु।
11. जिला परिषद कार्यालय सूचना पट्ट पर चरपान हेतु।
12. गार्ड फ़ाइल।

उपायुक्त,  
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2

जिला ऊना की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण का विवरण।

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम।	आरक्षण का विवरण 2015.
1.	गगरेट	अनुसूचित जाति महिला।
2.	ऊना	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला।
3.	बंगाणा	अनारक्षित महिला।
4.	हरोली	अनारक्षित।
5.	अम्ब	अनारक्षित।

  
उपायुक्त,  
ऊना, जिला ऊना (हि०प्र०)।